



कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल

ऑनलाइन प्रवेश सत्र **2018-19**

स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर
आवेदकों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिन्दु

शैक्षणिक सत्र 2018-19 हेतु ऑन-लाइन प्रवेश प्रक्रिया समय सारणी का पालन सुनिश्चित करते हुए मध्यप्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु निष्पक्ष, पारदर्शी, सरल एवं समयबद्ध ऑनलाइन केन्द्रीय प्रवेश प्रक्रिया एन. आई. सी. के तकनीकी सहयोग से लागू की गई है। इसके अंतर्गत स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु इच्छुक आवेदक प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। ऑन लाइन प्रवेश आवेदन करने से पूर्व आवेदक इस निर्देश पुस्तिका का भलीभाँति अध्ययन कर लें, जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।

उच्च शिक्षा विभाग के प्रवेश पोर्टल <http://www.epravesh.nic.in> पर आवेदकों के लिये ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध है। महाविद्यालयों एवं उनमें संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पंजीयन (Registration) तथा इसके पश्चात् दस्तावेजों का सत्यापन (Document verification) कराना होगा। आवेदक को सर्वप्रथम अपना आवेदन ऑनलाइन भरना होगा तथा प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शिका की कंडिका 2 के अनुसार चरणवार एकमुश्त पंजीयन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा। पंजीयन शुल्क का भुगतान केवल एक ही बार करना है, तत्पश्चात् प्रदेश के किसी भी शासकीय महाविद्यालय में जाकर अपने पंजीयन आवेदन सहित समस्त आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराने/पंजीयन शुल्क जमा नहीं करने पर आवेदन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

आवेदक इंटरनेट के माध्यम से अपने घर, शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में स्थित सहायता केन्द्रों (Help Centres) अथवा किसी भी इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑन लाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। महाविद्यालयों में स्थित सहायता केन्द्रों पर शुल्क रु. 10/- का भुगतान करने पर आवेदन भरने की सुविधा उपलब्ध है। विभाग द्वारा किसी भी ऐजेंसी को इस कार्य हेतु अधिकृत नहीं किया गया है।

आवेदन भरने से पूर्व आवेदक "प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धांत 2018-19" जो विभाग की वेब साइट www.highereducation.mp.gov.in पर उपलब्ध है, का अध्ययन भली भाँति कर लें, जिससे उन्हें आवेदन भरने में आसानी होगी।

जिलेवार महाविद्यालय, उनमें संचालित पाठ्यक्रमों, उनके कोड नंबर, उपलब्ध सीट्स एवं शुल्क इत्यादि की जानकारियों भी पोर्टल www.epravesh.nic.in पर उपलब्ध है। आवेदक महाविद्यालय तथा पाठ्यक्रम का चयन बहुत सोच समझ कर करें। अपने आवेदन से संबंधित समस्त आवश्यक दस्तावेजों को पूर्व से ही तैयार रखें।

ऑनलाइन पंजीयन एवं दस्तावेजों के सत्यापन के आधार मात्र से ही किसी प्रत्याशी को प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होगा अपितु प्रवेश हेतु गुणानुक्रम सूची में नाम आना अनिवार्य है तथा प्रवेश के समय आवेदक के अपेक्षित मूल प्रमाणपत्र पूर्णतः सही एवं नियमानुसार पाए जाने पर ही प्रवेश की पात्रता होगी। अतः ऑनलाइन पंजीयन करने के पूर्व आवेदक "प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धांत 2018-19" के अनुरूप संबंधित विश्वविद्यालय से सुनिश्चित कर लें कि वह प्रवेश की पात्रता/योग्यता रखता है अथवा नहीं।

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, गुणानुक्रम एवं आवेदकों द्वारा प्रस्तुत वरीयता के आधार पर होगी। आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व आवश्यक समस्त जानकारियों ऑनलाइन मॉड्यूल से प्राप्त कर सकते हैं।

ऑन-लाइन प्रवेश प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नानुसार हैं -

उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल <http://www.epravesh.nic.in> पर आवेदकों के लिये ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध है।

- 1 शैक्षणिक सत्र 2018-19 हेतु ऑन-लाइन प्रवेश प्रक्रिया की विस्तृत समय सारणी <http://www.epravesh.nic.in> पोर्टल पर उपलब्ध है।
- 2 आवेदक द्वारा प्रस्तुत ऑन-लाइन आवेदन में दर्ज जानकारियों का मूल दस्तावेजों से सत्यापन करवाने के लिए प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों को सत्यापन केन्द्र (Verification Centres) बनाया गया है। किसी भी शासकीय महाविद्यालय में उपस्थित होकर आवेदक को अपने दस्तावेजों का सत्यापन स्नातक तथा स्नातकोत्तर हेतु e-pravesh portal पर उपलब्ध समय सारणी अनुसार अनिवार्यतः करवाना होगा।
- 3 आवेदक अपने पंजीयन का प्रिंट-आउट सहित सभी मूल प्रमाणपत्रों जैसे अंकसूची, जाति, संवर्ग, स्थानीय निवासी (स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र), एनसीसी/एनएसएस, खेलकूद इत्यादि एवं उनकी एक-एक छायाप्रति के साथ सत्यापन केन्द्र पर उपस्थित होकर निर्धारित अंतिम तिथि तक अनिवार्यतः सत्यापन करवायें।
- 4 सभी दस्तावेजों के सत्यापन होने पर प्रमाणीकरण अधिकारी आवेदक का पोर्टल पर सत्यापन ऑन-लाइन करेंगे। पोर्टल पर सत्यापन पश्चात् दो प्रतियों में सत्यापन स्लिप प्रिंट की जावेगी। इस सत्यापन स्लिप पर प्रमाणीकरण अधिकारी एवं आवेदक दोनों को ही हस्ताक्षर करना होंगे। इसकी एक प्रति आवेदक को प्रदान की जावेगी तथा एक प्रति सभी दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ प्रमाणीकरण अधिकारी अपने पास रखेंगे।
- 5 सत्यापन स्लिप को संभालकर रखें। इसे प्रवेश के समय आवंटित महाविद्यालय में सत्यापन के समय प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों एवं अर्हता संबंधी अन्य दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। समस्त अर्हताएं पूर्ण करने पर महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी। प्रवेश आवंटन का यह कदापि आशय नहीं होगा कि आवेदक का प्रवेश अंतिम है। पात्रता पूर्ण नहीं होने पर आवेदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 6 निर्धारित अंतिम तिथि तक दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराने अथवा पंजीयन हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं करने पर आवेदक का आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं आवेदक प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो जावेगा।
- 7 ऑन लाइन आवेदन भरते समय आवेदक को चार अंकों की **सिक्रेट की (Secret Key)** (0 से लेकर 9 तक कोई भी चार अंक) बनाकर दर्ज करना होगी। आवेदक अपना पंजीयन क्रमांक एवं सिक्रेट की को अवश्य नोट कर लें। सिक्रेट की इस

- प्रकार बनायें कि उसे याद रखना आसान हो। आवेदन पत्र में शेष जानकारियाँ भरने अथवा भविष्य में भरी गई जानकारियों में परिवर्तन करने के लिए पंजीयन क्रमांक एवं सिक्रेट की से लॉग-इन करना होगा। प्रथम बार एवं भविष्य में परिवर्तन करने पर हर बार एक **सरल क्रमांक (Version)** भी आवेदन पत्र पर दर्ज होगा। अंतिम बार किये गये परिवर्तन के समय प्राप्त सरल क्रमांक युक्त आवेदन पत्र को दो प्रतियों में प्रिंट कर सत्यापन के लिए ले कर जावें।
- 8 आवेदक के द्वारा सत्यापन के समय त्रुटि पाये जाने अथवा वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर प्रमाणीकरण अधिकारी आपत्ति लेंगे। इस स्थिति में आवेदक को स्वयं किसी इंटरनेट कैफे अथवा महाविद्यालय में स्थित सहायता केन्द्र की मदद से आवेदन में आवश्यक संशोधन कर पुनः आवेदन पत्र को दो प्रतियों में प्रिंट कर पुनः सत्यापन हेतु उपस्थित होना होगा।
 - 9 अंतिम तिथि तक पंजीयन एवं दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य अवश्य पूर्ण कर लें।
 - 10 आवेदक एक से अधिक पंजीयन न करें। सत्यापन के पूर्व आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा महाविद्यालय / पाठ्यक्रम वरीयताओं में (आधार नम्बर को छोड़कर) ऑन लाइन सुधार कर सकते हैं।
 - 11 सत्यापन के समय किसी भी प्रकार की गलती पाये जाने पर आवेदक को स्वयं ही इसे ऑन लाइन ठीक करके पुनः सत्यापन हेतु जाना होगा। अतः आवेदक ऑन-लाइन आवेदन पत्र भरते समय बहुत सावधानीपूर्वक जानकारियाँ प्रविष्ट करें एवं विधिवत् परीक्षण कर लें।
 - 12 आवेदक महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम में से कुल मिला कर नौ विकल्पों का चयन कर सकेंगे। आवेदक नौ महाविद्यालयों अथवा एक ही महाविद्यालय में नौ पाठ्यक्रमों अथवा इसी तरह कुल मिलाकर अधिकतम नौ विकल्प का चयन कर सकता है।
 - 13 आवेदक पोर्टल <http://www.epravesh.nic.in> पर दिए गए Menu अंतर्गत उपलब्ध लिंक द्वारा ऑन लाइन आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व आवेदन पत्र में दर्ज करने संबंधी अन्य समस्त वांछित जानकारियाँ जैसे – महाविद्यालयों एवं उनमें पढाये जाने वाले पाठ्यक्रमों की जानकारी, उनके कोड नंबर, प्रवेश हेतु अधिभार प्राप्त करने संबंधी प्रमाण पत्रों की जानकारी एवं देय अधिभार, उनके कोड नंबर, शुल्क की जानकारी इत्यादि अवश्य देख लें।
 - 14 आवेदक अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि अपनी अंकसूची में अंकित अनुसार ही लिखें। Spelling अवश्य Check करें। आवेदक अपने फोटो एवं हस्ताक्षर सही-सही अपलोड एवं प्रिंट हुआ है, इसकी जाँच कर लें।
 - 15 आवेदक अपनी अर्हताकारी परीक्षा का रोल नंबर, प्राप्तांक एवं अधिकतम अंक, आधार नम्बर (आधार नम्बर नहीं होने की स्थिति में आवेदक आधार पंजीयन हेतु आवेदन कर उसका ई-पंजीयन क्रमांक लिखें), मोबाइल नम्बर की प्रविष्टि, सही-सही करें।
 - 16 आवेदक अपनी जाति, संवर्ग, मूल-निवास आदि की जानकारी सही-सही भरें।
 - 17 आवेदक अपना सम्पूर्ण पता सही-सही भरें।
 - 18 सत्यापन के पश्चात् दर्ज जानकारियों में किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा।
 - 19 छात्र/छात्राएँ महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों का चयन करते समय विशेष सावधानी रखें, जिससे उन्हें उनसे संबंधित महाविद्यालय/पाठ्यक्रमों में ही प्रवेश दिया जा सके।
 - 20 आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने से आवंटन में विसंगति का संपूर्ण दायित्व आवेदक का होगा एवं सत्यापन उपरांत संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा।
 - 21 कन्या महाविद्यालयों में सिर्फ कन्या आवेदकों के ही दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य होगा।
 - 22 प्रवेश के समय पात्रता पूर्ण नहीं करने वाले आवेदकों के प्रवेश महाविद्यालय द्वारा अमान्य होंगे।
 - 23 प्रवेश शुल्क का भुगतान करने पर ही प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण होगी। प्रवेशित आवेदकों को उनके ऑनलाइन प्रवेश की रिपोर्टिंग के प्रमाण स्वरूप महाविद्यालय Online Admission Slip प्रदान करेंगे। अतः आवेदक अपनी Online Admission Slip अवश्य प्राप्त करें।
 - 24 आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. के पत्र क्रमांक- एफ 75 /2018 , भोपाल दिनांक 05/05/2018 द्वारा प्रदेश के पंजीकृत असंगठित कर्मचारों की संतानों को महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर शैक्षणिक शुल्क में छूट दिये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं ।
 - 25 आवंटन पश्चात् प्रवेश के समय अर्हता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करने / निर्धारित समयावधि में वचन पत्रानुसार मूल दस्तावेज जमा नहीं करने/निर्धारित समयावधि में प्रवेश शुल्क का भुगतान नहीं करने/आवश्यक शपथ पत्र (म. प्र. एवं बाह्य राज्यों के आवेदक) प्रस्तुत नहीं करने वाले आवेदकों के प्रवेश स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
 - 26 कुछ विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों द्वारा अंकों के स्थान पर ग्रेड पाईट प्रदान किए जाते हैं। यदि आवेदक की 12वीं /स्नातक/स्नातकोत्तर की अंक सूची में ग्रेड पाईट के समतुल्य अंकों की गणना करने का सूत्र वर्णित हो तो ग्रेड को अंकों में बदलकर ही कॉलम में पृविष्ट करें अन्यथा ग्रेड पाईट का उल्लेख करें तथा प्राप्तांक कॉलम में स्केल भरें। उदाहरणार्थ : यदि ग्रेड 3.5 इन द स्केल ऑफ 5 हो तो प्राप्तांक में 3.5 तथा पूर्णांक में 5 पृविष्ट करें।
 - 27 यदि कोई विद्यार्थी 12 वीं कक्षा में गणित समूह के साथ जीवविज्ञान अतिरिक्त विषय के रूप में पढता है तथा स्नातक प्रथम वर्ष में जीवविज्ञान समूह के साथ प्रवेश हेतु आवेदन करता है तो जीवविज्ञान समूह का चयन ड्राप डाउन मेनू से कर अतिरिक्त विषय को मुख्य विषय के रूप में चयन करना होगा । ऐसा करने पर गुणानुक्रम के निर्धारण के लिए उसे गणित विषय के अंक के स्थान पर अतिरिक्त विषय जीवविज्ञान के अंक भरकर प्राप्तांक निर्धारित करना होंगे । इसी प्रकार यदि कोई विद्यार्थी 12 वीं कक्षा में जीवविज्ञान समूह के साथ गणित अतिरिक्त विषय के रूप में पढता है तथा स्नातक प्रथम वर्ष में गणित समूह के साथ प्रवेश हेतु आवेदन करता है तो गणित विषय का चयन ड्राप डाउन मेनू से कर अतिरिक्त विषय को मुख्य विषय के रूप में चयन करना होगा । ऐसा करने पर गुणानुक्रम के निर्धारण के लिए उसे जीवविज्ञान विषय के अंक के स्थान पर अतिरिक्त विषय गणित के अंक भरकर प्राप्तांक निर्धारित करना होगा ।
 - 28 अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए प्रवेश के समय पुलिस सत्यापन अनिवार्य है।
 - 29 12वीं की परीक्षा में पूरक प्राप्त आवेदकों को भी प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक अपना ऑन-लाइन पंजीयन पोर्टल पर कराना होगा। सी.एल.सी. चरण में स्थान रिक्त रहने पर प्रावधिक प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। पूरक में अनुत्तीर्ण होने पर नियमानुसार शुल्क वापस किया जायेगा।

30. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक आवेदकों को भी प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक अपना ऑन लाइन पंजीयन पोर्टल पर कराते हुए प्रवेश लेना होगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हो जाने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर नियमानुसार शुल्क वापस किया जावेगा।
31. ज़िला मुख्यालय में एक से अधिक शासकीय महाविद्यालय होने पर उत्कृष्ट घोषित महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए न्यूनतम प्राप्तांक 60 प्रतिशत अथवा अधिक होना चाहिए। आरक्षित वर्ग हेतु नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी। किन्तु कोई पाठ्यक्रम सिर्फ उत्कृष्ट घोषित महाविद्यालयों में ही संचालित होने पर न्यूनतम प्राप्तांक 60 प्रतिशत की सीमा लागू नहीं होगी।
32. संकाय परिवर्तन कर प्रवेश लेने वाले आवेदकों के 5% अंक कम कर गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा तथा अधिभार घटे हुए प्राप्तांक पर ही देय होगा।
33. अध्ययन में अंतराल होने पर स्वघोषित शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।
34. प्रवेश के पश्चात् स्थान रिक्त रहने पर पात्रता एवं गुणानुक्रम के अनुसार विषय/संकाय/पाठ्यक्रम में परिवर्तन निर्धारित तिथि तक किये जा सकेंगे।
35. आवेदकों की सहायता के लिए सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू.) पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
36. किन्ही दो आवेदकों के प्राप्तांकों का प्रतिशत एक समान होने पर जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठ आवेदक को वरीयता दी जावेगी।
37. प्रवेश का निरस्तीकरण :- प्रवेश प्राप्त होने के पश्चात् भी यदि यह पाया गया कि कोई आवेदक गलत या असत्य जानकारी के आधार पर अथवा तथ्यों को छिपाने से या किसी त्रुटि या अनदेखी के कारण संस्था में प्रवेश पा गया है, तो यह बात संज्ञान में आते ही प्रत्याशी का प्रवेश बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल निरस्त कर कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा समस्त शुल्क राजसात कर लिया जावेगा।
38. आवेदक एवं उनके माता-पिता अथवा अभिभावक किसी के बहकावे में न आवें। प्रवेश संबंधी किसी भी जानकारी के लिए दूरभाष क्रमांक 0755-2551698 एवं 0755-2554423 पर संपर्क कर सकते हैं।

विशेष : प्रवेश हेतु अधिभार दिया जाता है। अधिभार हेतु स्नातक हेतु विगत चार वर्षों तथा स्नातकोत्तर हेतु विगत तीन वर्षों में अर्जित प्रमाण पत्रों को ही मान्य किया जावेगा तथा एक से अधिक अधिभार होने पर अधिकतम अधिभार प्राप्त प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जावेगा। विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक -10 देखें।

सत्यापन/ प्रवेश के समय आवश्यक प्रमाण पत्रों की सूची निम्नानुसार है -

- अर्हताकारी परीक्षा की मूल अंक सूची (मूल अंक सूची के अभाव में इंटरनेट की अंकसूची सत्यापन हेतु मान्य होगी किन्तु प्रवेश होने पर निर्धारित समयावधि में मूल अंक सूची प्रवेशित महाविद्यालय में प्रस्तुत करना होगी)। मूल अंक सूची के अभाव में प्रवेश के समय दिये जाने वाले वचन पत्र का प्रारूप (संलग्नक - 2)
- कक्षा 10 वीं की अंक सूची (जन्म तिथि हेतु)।
- प्रवेश के समय मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.)। मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश के समय दिये जाने वाले वचन पत्र (संलग्नक - 3) के आधार पर प्रावधिक प्रवेश मान्य होगा, किन्तु निर्धारित समयावधि में मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रवेशित महाविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा अन्यथा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।
- चरित्र प्रमाण पत्र, प्रवेश के समय।
- जाति प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन-क्रीमी लेयर हेतु)।
- संवर्ग (विकलांग/स्वतंत्रता संग्राम सैनानी/सैनिक) प्रमाण पत्र।
- अध्ययन में अंतराल होने पर अंतराल शपथ प्रमाण पत्र (स्वघोषित) (संलग्नक-11), प्रवेश के समय।
- उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. के कार्यरत नियमित कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण पत्र।
- प्रवेश हेतु अधिभार प्राप्त करने संबंधी प्रमाण पत्र। (विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक - 10 देखें)
- प्रवेश के समय विश्वविद्यालय का पात्रता प्रमाण पत्र।
- प्रवेश के समय माइग्रेशन प्रमाण पत्र।
- प्रवेश के समय जम्मू कश्मीर के विस्थापित एवं उनके आश्रित होने का प्रमाण पत्र।
- प्रवेश के समय अन्य राज्य के आवेदकों के लिए पुलिस सत्यापन। (संलग्नक - 8 एवं 9)
- प्रवेश के समय सेवारत होने पर नियोक्ता का प्रमाण पत्र।
- प्रवेश के समय यदि किसी न्यायालय पुलिस थाने में आवेदक के विरुद्ध कोई प्रकरण दर्ज है तो उसका विवरण।
- प्रवेश के समय आवेदक के विरुद्ध पूर्व में अनुशासनहीनता/दुराचार/रैगिंग/नकल प्रकरण/अपराधिक कृत्य के विरुद्ध की गई न्यायालयीन/महाविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही का संपूर्ण विवरण।
- प्रवेश के समय अभ्यर्थी द्वारा एंटी रैगिंग शपथ पत्र एवं माता-पिता/अभिभावक का शपथ प्रमाण-पत्र (संलग्नक 12 अ एवं 12 ब)

आवेदकों के लिए विभिन्न प्रारूप

- संलग्नक -1 : आवेदन पत्र में भरी जाने आवश्यक जानकारियों के विकल्प
- संलग्नक - 2 : अर्हताकारी परीक्षा की मूल अंक सूची के अभाव में वचन पत्र
- संलग्नक - 3 : मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र के अभाव में वचन पत्र
- संलग्नक - 4 : आवेदक की घोषणाएँ
- संलग्नक - 5 : माता/पिता या वैध अभिभावक की घोषणा
- संलग्नक - 6 : स्थानीय निवासी हेतु स्व प्रमाणित घोषणा पत्र (अस्टाम्पित कागज़ पर)
- संलग्नक - 7 : आय बाबत स्व प्रमाणित घोषणा पत्र (सादे कागज़ पर)
- संलग्नक - 8 : बाह्य राज्य के आवेदकों के लिए पुलिस सत्यापन
- संलग्नक - 9 : बाह्य राज्यों के विद्यार्थियों हेतु पुलिस सत्यापन फार्म
- संलग्नक - 10 : प्रवेश हेतु अधिभार प्राप्त करने संबंधी प्रमाण पत्रों की सूची
- संलग्नक - 11 : अध्ययन में अंतराल होने पर दिये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप।
- संलग्नक -12(अ) : अभ्यर्थी द्वारा एंटी रैगिंग शपथ पत्र
- संलग्नक -12 (ब) : माता-पिता/अभिभावक का शपथ प्रमाण-पत्र

Details of options in drop down menu to be filed in the Application Form:

Result of Exam	Pass / Supplementary
Subject Group	Science (Maths) / Science (Bio) / Arts / Commerce / Home Science / Agriculture / Professional Courses
Blood Group	A+ / A- / B+ / B- / AB+ / AB- / O+ / O- / Not Known
Category	GEN / SC / ST / OBC (Non-Creamy) / GEN-OBC (Creamy)
Domicile	MP / J & K Migrant / Other State
Special Class (संवर्ग)	None / Handicapped / FF / Sainik / FF-Handicapped / Sainik - Handicapped / Sainik - Widow and dependent of Martyrs during war/ Sainik - Handicapped Sainik during war and dependent / Sainik - Dependent of Martyrs during peace / Sainik - Handicapped Sainik during peace and dependent / Sainik - Gallantry Awardees / Sainik - Dependent of Ex-Sainik / Sainik - Dependent of On Duty Sainik/President Police Gallantry Medal/Police Gallantry Medal

अर्हताकारी परीक्षा की मूल अंक सूची के अभाव में वचन पत्र

प्रति,

प्राचार्य,

.....

..... (महाविद्यालय का नाम)

.....(शहर का नाम)

विषय : अर्हताकारी परीक्षा की मूल अंक सूची के अभाव में वचन पत्र प्रस्तुत करने बाबत।

महोदय/महोदया,

विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि मुझे आपके महाविद्यालय में कक्षासेमेस्टर.....

विषय समूह..... में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ऑन लाइन सीट आवंटित की गई है। किन्तु आज दिनांक तक प्रवेश हेतु आवश्यक कक्षा 12 वीं/स्नातक की मूल अंक सूची मुझे प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्रवेश हेतु इंटरनेट से प्राप्त अंक सूची संलग्न कर रहा हूँ/रही हूँ। मैं वचन देता हूँ/देती हूँ कि दिनांक.....तक अपनी मूल अंक सूची महाविद्यालय में प्रस्तुत कर दूंगा/कर दूंगी।

उक्त तिथि तक अंक सूची प्रस्तुत नहीं करने पर महाविद्यालय द्वारा मेरा प्रवेश निरस्त किये जाने की जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।

दिनांक :.....

भवदीय

नाम :

पिता/पति का नाम :

पता :

दूरभाष/मोबाइल नं.:

पंजीयन क्रमांक:

मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र के अभाव में वचन पत्र

प्रति,

प्राचार्य,

.....

..... (महाविद्यालय का नाम)

.....(शहर का नाम)

विषय : मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र के अभाव में वचन पत्र प्रस्तुत करने बाबत।

महोदय/महोदया,

विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि मुझे आपके महाविद्यालय में कक्षासेमेस्टर.....

... विषय समूह..... में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ऑन लाइन सीट आवंटित की गई है। किन्तु आज दिनांक तक प्रवेश हेतु आवश्यक मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र मुझे अपने विद्यालय/महाविद्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है। अतः मैं वचन देता हूँ/देती हूँ कि दिनांक..... तक अपना मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रस्तुत कर दूंगा/कर दूंगी।

उक्त तिथि तक स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर महाविद्यालय द्वारा मेरा प्रवेश निरस्त किये जाने की जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।

दिनांक :.....

भवदीय

नाम :

पिता/पति का नाम :

पता :

दूरभाष/मोबाइल नं.:

पंजीयन क्रमांक:

: आवेदक की घोषणाएँ :

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि :

- मैं महाविद्यालय के समस्त नियमों/निर्देशों/सूचनाओं एवं आचरण संहिता का पूर्णरूपेण पालन करूँगा/करूँगी।
- शासन/महाविद्यालय के नियम/अनुशासन व व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध रहूँगी/रहूँगा। अपना व्यवहार संयत, शालीन एवं विनम्र रखते हुए प्रत्येक प्रकरण में प्राचार्य के निर्णय का पालन करूँगा/करूँगी।
- ऐसी किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लूँगा/लूँगी जिससे महाविद्यालय की प्रतिष्ठा एवं निहित उद्देश्यों का अहित हो।
- मेरे द्वारा उपर्युक्त दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। किसी भी तथ्य को न तो छुपाया है और न ही कोई असत्य/भ्रामक जानकारी दी है।
- कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता का पालन करूँगा/करूँगी अन्यथा मुझे सत्रान्त परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी।
- उपर्युक्त घोषणा का उल्लंघन करने की स्थिति में प्राचार्य को महाविद्यालय से मेरा प्रवेश निरस्त करने तथा वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।
- मैं किसी प्रकार की रैगिंग गतिविधि में भाग नहीं लूँगा/लूँगी।
- मैं महाविद्यालय की किसी भी नीति की सार्वजनिक आलोचना नहीं करूँगा/करूँगी अपितु किसी समस्या की स्थिति में महाविद्यालय/विभाग के अधिकारियों के सहयोग से उसे दूर करूँगा/करूँगी।
- मेरे विरुद्ध पूर्व में अनुशासनहीनता/दुराचार/रैगिंग/नकल प्रकरण/अपराधिक कृत्य के विरुद्ध कोई न्यायालयीन/महाविद्यालय द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है। यदि हाँ तो विवरण दें
- मेरे विरुद्ध किसी न्यायालय/पुलिस थाने में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। यदि हाँ तो विवरण दें

दिनांक :

भवदीय

नाम :

पिता/पति का नाम :

पता :

पंजीयन क्रमांक:

दूरभाष/मोबाइल नं.:

: माता/पिता या वैध अभिभावक की घोषणा :

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य/पाल्या कक्षा.....
सेमेस्टर द्वारा इस आवेदन-पत्र में दी गई समस्त जानकारी सत्य है। महाविद्यालय
 के समस्त नियमों/निर्देशों एवं व्यवस्थाओं को समझ लिया है। महाविद्यालय के अध्ययन काल में उसके
 आचरण, कार्यो, अनुशासन, उपस्थिति, दैनंदिनी प्रगति और व्यवहार के संबंध में विशेष ध्यान देंगे तथा इसके
 लिये पूर्णतः उत्तरदायी रहते हुए महाविद्यालय को पूर्ण सहयोग देते रहेंगे। पुत्र/पुत्री/ पाल्य/पाल्या द्वारा
 परीक्षा आवेदन फार्म भरे जाने के पूर्व अथवा सत्रांत तक वांछित उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होने पर उसे
 सत्रांत परीक्षा में सम्मिलित न किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

पिता/अभिभावक के पूर्ण हस्ताक्षर


दिनांक : पूरा नाम

पता :

.....

दूरभाष/मोबाइल नं.:

स्थानीय निवासी हेतु
स्व प्रमाणित घोषणा पत्र
(अस्टाम्पित कागज पर)



मैंआत्मज/पति श्रीआयु लगभग.....वर्ष शपथपूर्वक
कथन करता/करती हूँ कि :-

1. मैं वर्तमान में में निवासरत हूँ।
2. मेरी पत्नि का नाम श्रीमती एवं उम्र (लगभग)वर्ष है।
3. मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्री -
 1. श्री/कु. आयु (लगभग)वर्ष
 2. श्री/कु. आयु (लगभग)वर्ष
4. (यहाँ मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25 सितम्बर, 2014 में वर्णित निर्देश के अंतर्गत आवेदक पात्रता की निम्न में से जिन-जिन श्रेणियों में आता है, उनका विवरण अंकित करें)
 1. मैं, मध्यप्रदेश के मकान नंबर मोहल्लाग्राम
तहसील जिला में वर्षमें पैदा हुआ/हुई हूँ।
 2. मैं, मध्यप्रदेश में ग्राम/मोहल्ला शहर तहसील
जिला में विगत 10 वर्ष से निरंतर निवासरत हूँ।
(आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 10 वर्ष से निरंतर निवासरत हो। यदि 10 वर्ष की अवधि में एक से अधिक स्थानों पर निवासरत रहे तो कब से कब तक कहाँ-कहाँ निवासरत रहे इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जावे।)
3. मैं राज्य शासन की सेवा में वर्तमान में पद का नाम कार्यालय का नाम
..... विभाग का नाम के पद पर पदस्थ हूँ/से सेवा निवृत्त हुआ हूँ।
4. मैं, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत स्थापितनामक संस्था/निगम/मण्डल/आयोग
मेंपद परकार्यालय में सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ।
(कार्यरत/सेवानिवृत्त पद के नाम के साथ कार्यरत कार्यालय/जिस कार्यालय से सेवा निवृत्त हुए उसका पूर्ण
विवरण दें)
5. मैं केन्द्र शासन के विभाग में के पद परकार्यालय
..... तहसील जिला के पद पर 10 वर्ष से पदस्थ होकर कार्यरत हूँ।
(कार्यरत पद का नाम एवं कार्यालय का विवरण तथा पता)
6. मैं अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित (आवंटन वर्ष बैच) अधिकारी हूँ।
.....पद पर कार्यालय/मंत्रालयमें पदस्थ
हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
(कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्यालय का पूर्ण विवरण कार्यरत पद का नाम)
7. मैं मध्यप्रदेश में संवैधानिक/विधिक पद पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम
राज्यपाल द्वारा नियुक्त हूँ।
(पद, कार्यालय का पूर्ण विवरण दिया जाये)

8. मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ तथा मैंने मध्यप्रदेश में 5 वर्षों तक (अवधि) निवास किया है/अथवा मेरे परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत हैं। (इसकी पुष्टि हेतु सैनिक कल्याण संचालनालय का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैंआत्मज/पति श्री आयुवर्ष निवासी
..... सत्यापन करता/करती हूँ कि घोषणा-पत्र की कंडिका 1/2/3/4/5/6/7/8 में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई सारवान तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापस लिये जायेंगे।
सत्यापन आज दिनांकवर्ष को स्थानमें किया गया।

हस्ताक्षर

(जो लागू हो केवल उसी का उल्लेख घोषणा-पत्र में किया जाये)

**आय बाबत स्व प्रमाणित घोषणा पत्र
(सादे कागज़ पर)**

मैंआत्मज श्रीआयुवर्ष शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि:-

1. मैं वर्तमान मेंमें निवासरत हूँ।
2. मेरे नाम से ग्राममेंहेक्टेयर/एकड़ कृषि भूमि है, जिससे मुझे रुपयेशब्दों मेंकी वार्षिक आय होती है।
3. मेरा व्यवसायहै, इससे मुझे वार्षिक आय रुपयेशब्दों मेंहै।
4. गृह सम्पत्ति से मेरी वार्षिक आय रुपयेशब्दों मेंहै।
5. मेरे परिवार में निम्नानुसार सदस्य हैं -
1. 2. 3. 4. 5.
(परिवार से आशय पति/पत्नि/अवयस्क पुत्र/पुत्री/आश्रित माता या पिता से है।)
6. मेरे परिवार के उक्त समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय रुपयेशब्दों मेंहै।
7. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व कोई आय प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है/शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

अथवा

8. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व लगभगसमय पूर्व एक आय प्रमाण पत्र/शपथ-पत्र राशिरुपये वार्षिक का प्राप्त किया/दिया था। मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है। अतः परिवर्तित आय राशिवार्षिक का आय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
(बिन्दु क्रमांक 7 एवं 8 में जो लागू न हो, उसे काट दें।)

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैंआत्मज/पति श्रीआयुवर्ष, निवासीसत्यापन करता/करती हूँ कि शपथ-पत्र की कड़िका 1 से 8 तक में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापस लिये जावेंगे।

सत्यापन आज दिनांकवर्षको स्थानमें किया गया।

हस्ताक्षर

बाह्य राज्य के अभ्यर्थी द्वारा दिया जाना वाला शपथ-पत्र

मैं.....पिता/माता का नाम श्री/श्रीमती.....
स्थाई पता
वर्तमान पता दूरभाष
 क्रमांक..... मोबाईल नंबर.....ने कक्षा..... सेमेस्टरमें
 प्रवेश प्राप्त किया है। मैं मूल रूप सेका निवासी हूँ। मेरे विरुद्ध कोई
 आपराधिक प्रकरण पूर्व में पंजीबद्ध नहीं हुआ है न ही वर्तमान में कोई आपराधिक प्रकरण किसी पुलिस थाने में
 पंजीबद्ध है। मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक प्रकरण से संबंधित चालान प्रस्तुत नहीं किया गया है
 और न ही अभी न्यायालय में कोई प्रकरण लंबित है। प्रवेश के पश्चात् कोई आपराधिक तथ्य/महत्वपूर्ण तथ्य
 उजागर होने पर मेरे विरुद्ध निष्कासन/निलंबन एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही होती है, तो वह मुझे स्वीकार
 होगी एवं इसका दायित्व मेरा स्वयं का होगा।

उपरोक्त जानकारी पूर्ण सत्य है।

दिनांक -

भवदीय

नाम :

पिता/पति का नाम :

पता :

पंजीयन क्रमांक:

दूरभाष/मोबाइल नं.:

बाह्य राज्यों के विद्यार्थियों हेतु पुलिस सत्यापन फार्म

 फोटो राजपत्रित अधिकारी द्वारा
प्रमाणित

हस्ताक्षर

1. नाम पिता का नाम माता का नाम
..... आयु
2. निवास स्थान पता (स्थायी)
.....
पता (वर्तमान).....
.....
3. पुलिस थाना क्षेत्र
4. पूर्व में अध्ययनरत् विद्यालय/महाविद्यालय
5. शरीर पर विशेष निशान /पहचान चिन्ह.....
6. आपराधिक प्रकरणों की जानकारी
7. स्थायी निवास स्थान पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम जो आवेदक को जानते हैं।

क्र	नाम	पता	व्यवसाय	टेलीफोन
1				
2				

हस्ताक्षर पुलिस थाना क्षेत्र प्रभारी

प्रवेश हेतु अधिभार प्राप्त करने संबंधी प्रमाण पत्रों की सूची एवं देय अधिभार

Stream of Weightage	Weightage Code	Weightage (%)
NCC/NSS/Scouts(Scouts Guide/Rangers)/ Judo-Karate/Red Cross, Select the highest waitage option		
NCC/NSS 'A' Certificate - 2%	11	2
NCC/NSS 'B' Certificate OR 2nd level pass Scouts - 3%	12	3
NCC/NSS 'C' Certificate OR 3rd level pass Scouts - 4%	13	4
State Level (Directorate) NCC Competition - 4%	14	4
Participated in RDC New Delhi MP NCC Contingent - 5%	15	5
Governor Scout - 5%	16	5
President Scout - 10%	17	10
Best NCC Cadet of MP - 10%	18	10
Recipient of Duke of Adinbara NCC Cadet - 15%	19	15
Participant Cadet of Youth Exchange Program between India and Other Countries - 15%	20	15
Selection in international Jamhuri in NCC/NSS - 10%	21	10
Excellent Activity Certificate by Indian Red Cross Society - 2%	22	2
Judo/Karate - Yellow Belt - 2%	23	2
Judo/Karate -Brown Belt - 3%	24	3
Judo/Karate -Black Belt - 4%	38	4
Inter District/Division Level Competitions organised by DPI Or Inter Division/Regional Level Competitions organised by CBSE		
(1) I,II,III postion holder team members - 2%	25	2
(2) I ,II, III postion holder individual event - 4%	26	4
Inter Division/State Level Competitions organised by DPI Or Inter Regional/National Level Competitions organised by CBSE Or Regional Competitions organised by Parliament affairs ministry GOI		
(1) I,II,III postion holder team members - 6%	27	6
(2) I ,II, III postion holder individual event - 7%	28	7
(3) Competitor Representing Division - 5%	29	5
National Competition organised by Parliament affairs ministry GOI		

Stream of Weightage	Weightage Code	Weightage (%)
(1) I,II,III postion holder team members - 12%	30	12
(2) I ,II, III postion holder individual event - 15%	31	15
(3) Competitor Reprinting Region - 10%	32	10
Exchange program between India and Foreign Countries under Youth/Cultural/Literary/Science/Arts - 10%	33	10
National Competitions organised by Sports authorities recognised by government of M.P.		
(1) Representative members of MP team - 10%	34	10
(2) I ,II, III postion holder of MP team members - 12%	35	12
Migrants of J&K and their dependents	36	1
Special Encouragement: 1) NCC Best Cadet on National Level 2) Participation in National or International Level organised by Olympics/Asiad/Sports Authority of India/SGFI	37	Outright
Remark : Code 37 Weightage 99 % means student has outright for admission without merit if the student fulfil the eligibility criteria.		

अध्ययन में अंतराल होने पर दिये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

(स्व प्रमाणित सादे कागज़ पर)

मैं.....पिता/माता का नाम श्री/श्रीमती.....
स्थायी पता.....वर्तमान
 पतादूरभाष क्रमांक.....
 मोबाईल नंबर..... कक्षा..... सेमेस्टरमहाविद्यालय.....
 में प्रवेश आवंटन हुआ है।

मैं शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि मेरा सत्रसे सत्रतक कुलवर्षों का अध्ययन अंतराल रहा है। इस अंतराल में, मैंने किसी भी नियमित पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लिया है। प्रवेश के पश्चात् इस संबंध में कोई भी तथ्य उजागर होने पर मेरे विरुद्ध निष्कासन/निलंबन एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही होती है, तो वह मुझे स्वीकार होगी एवं इसका दायित्व मेरा स्वयं का होगा।

उपरोक्त जानकारी पूर्ण सत्य है।

दिनांक –

भवदीय

नाम :

पिता/पति का नाम :

पता :

पंजीयन क्रमांक:

दूरभाष/मोबाइल नं.:

अभ्यर्थी द्वारा एंटी रैगिंग शपथ पत्र

[Under section 6.2 (M & N) of UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009]

1. अभ्यर्थी.....पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमतीपंजीयन क्रमांक
.....कक्षा महाविद्यालयने रैगिंग निषेध के
विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ
लिया है। मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से सम्बन्धित विनियम 2009 को ध्यान से पढ़
लिया है।
2. मैंने मुख्यरूप से विनियम 3 को पढ़ लिया है समझ लिया है। और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या माने हैं।
3. मैंने धारा 7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है। अगर मैं किसी तरह की रैगिंग के लिए किसी को उकसाता हूँ या किसी
तरह की रैगिंग में भाग लेता हूँ तो प्रशासन मेरे खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है।
4. मैं निश्चयपूर्वक यह प्रयत्न करूँगा कि
क) मैं किसी की रैगिंग जो कि धारा 3 विनियम में उल्लिखित है उसमें भाग नहीं लूँगा/लूँगी
ख) मैं किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लूँगा/लूँगी जो कि रैगिंग के धारा 3 विनियम के अंतर्गत आता हो।
5. मैं किसी भी प्रकार की रैगिंग में भाग नहीं लूँगा/लूँगी अथवा किसी भी प्रकार से रैगिंग का प्रचार नहीं करूँगा/करूँगी
6. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मैं रैगिंग के मामले में अपराधी पाया गया/पायी गयी तो मुझे विनियम 9.1 के अनुसार
दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में मेरे विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही
की जा सकती है।
7. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और
ऐसा पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

हस्ताक्षर

नाम.....

पिता/माता/अभिभावक का नाम

.दिन.....महीना.....वर्ष.....

माता-पिता/अभिभावक का शपथ पत्र

(यूजीसी नियमन 6.2 की धारा (एम तथा एन) के अनुसार)

1. मैंपिता/माता/अभिभावक ने रैगिंग निषेध के विधि तथा उच्चतम न्यायालय के निर्देश को केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से सम्बन्धित विनियम 2009 को ध्यान से पढ़ लिया है।
2. मैंने खासतौर से विनियम 3 को पढ़ लिया है। और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या माने हैं।
3. मैंने धारा 7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है। अगर मेरा वार्ड किसी तरह की रैगिंग के लिए किसी को उकसाता है या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता है तो प्रशासन उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है।
4. मैं निश्चयपूर्वक यह प्रयत्न करूँगा कि : -
5. क) मेरा वार्ड किसी तरह के रैगिंग जो कि धारा 3 विनियम में उल्लेखित है उसमें भाग नहीं लेगा/लेगी।
6. ख) मेरा वार्ड किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेगा/लेगी जो कि रैगिंग के धारा 3 विनियम के अंतर्गत आता हो।
7. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मेरा वार्ड रैगिंग के मामले में अपराधी पाया गया/पायी गयी तो उसे विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में मेरे वार्ड के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
8. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरे वार्ड के विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और ऐसा पाया जाता है तो मेरे वार्ड का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

हस्ताक्षर

नाम

पता

दूरभाष नं.

दिन.....महीना.....वर्ष.....